छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –645 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-03284**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''नर्मदा नगर'', प्रमोटर–श्री नरेश मेथवानी, पता–वार्ड नं. 09, पुलिस स्टेशन के पीछे, हरि ओम नगर पेण्ड्रा रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''नर्मदा नगर'' पता–टिकरकला, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/06/2026	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन अनुसार भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''नर्मदा नगर'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA220822001505** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 22.08.2020 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–04 एवं धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 12.12.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि इस परियोजना में किसी भी आबंटिती से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये अनावेदक की ओर से कोई बकाया राशि नहीं है। यदि आबंटितियों से प्राप्त किसी भी राशि के संबंध में भविष्य में कोई दावा करता है, तो प्रमोटर जिम्मेदार होंगे और उन पर परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –645 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-03284**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''नर्मदा नगर'', प्रमोटर–श्री नरेश मेथवानी, पता–वार्ड नं. 09, पुलिस स्टेशन के पीछे, हरि ओम नगर पेण्ड्रा रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''नर्मदा नगर'' पता–टिकरकला, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	सकता है। यदि भविष्य में अनावेदक इस परियोजना को पुनः आरंभ करते हैं, तो अनावेदक प्राधिकरण के पंजीकरण नियमों के अनुसार अलग पंजीकरण के लिये आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अनावेदक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और कानूनी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा, इस शर्त के साथ अनावेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन क्रमांक–PCGRERA220822001505 के डि–रजिस्ट्रेशन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	